पीठासीन अधिकारी- श्री चंद्रोदय कुमार, H.J.S.

M.A.C.P. No.-231 of 2020

1. मुकेश कुमार पुत्र श्री भदई अहिरवार, आयु- 48 वर्ष
2. श्रीमती फूलन देवी पत्नी मुकेश, आयु-38 वर्ष, निवासीगण-ग्राम व पोस्ट पण्डवाहा, थाना-टोडी फतेहपुर, तहसील-टहरौली, झांसी

------------याचीगण

बनाम

1. प्रदीप सिंह पुत्र श्री सुरेश सिंह, निवासी- फतेहपुर गोही, थाना-बर्रा, जिला-कानपुर
............मालिक ट्रक संख्या-UP32CN7538)
2. सत्यम दीक्षित पुत्र श्री शिवश्याम, निवासी-कमालपुर, थाना- ककवन, जिला-कानपुर
.............मालिक ट्रक संख्या-UP32CN7538)
3. दि न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमि. जरिये ब्रांच आफिस, कचहरी चौराहा, सिविल लाइन्स, झांसी
...........बीमाकर्ता ट्रक संख्या-UP32CN7538)

याचीगण के अधिवक्ता- **श्री ओमप्रकाश गौतम**
विपक्षी संख्या तीन के अधिवक्ता- **श्री अरुण श्रीवास्तव**

राष्ट्रीय लोक अदालत

दिनांकः10.07.2021

आज यह पत्रावली लोक अदालत में प्रस्तुत हुई। याचीगण मय अधिवक्ता उपस्थित है। विपक्षी संख्या- तीन दि न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमि. की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री अरुण श्रीवास्तव उपस्थित हैं।

उभय पक्ष की ओर से सन्धि पत्र 17B इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि उक्त प्रकरण में याचीगण एवं विपक्षी संख्या- तीन बीमा कम्पनी के मध्य प्रतिकर की धनराशि रु.2,30,000 के लिए राजीनामा हो गया है। अतः उक्त प्रकरण उपरोक्त राजीनामा के आधार पर निस्तारित कर दिया जाये।

सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि याचीगण की ओर से यह याचिका कथित सडक दुर्घटना दिनांकित 19.11.19 में ट्रक संख्या-UP32CN7538 के चालक द्वारा वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाकर याचीगण के पुत्र रुद्र प्रताप उर्फ अनरुद्व को जोरदार टक्कर मार दिये जाने से आयी गम्भीर चोटों के कारण उसकी मृत्यू हो जाने पर रु.41,70,000 प्रतिकर एवं उस पर ब्याज दिलाये जाने हेतु योजित की गयी है। दौरान विचारण याचीगण एवं विपक्षी संख्या- तीन बीमा कम्पनी की ओर से उक्त राजीनामा प्रस्तुत किया गया है। उक्त राजीनामा प्रपत्र पर याचीगण के हस्ताक्षर की शिनाख्त उनके विद्वान अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश गौतम के द्वारा तथा विपक्षी संख्या- तीन दि न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमि. की शिनाख्त श्री अरुण श्रीवास्तव द्वारा की गयी है, शेष विपक्षीगण को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त राजीनामा को न्यायालय द्वारा विधिवत रुप से सत्यापित किया गया है, जिससे याचीगण पूर्णत: संतुष्ट हैं।

चूंकि इस प्रकरण में याचीगण एवं विपक्षी संख्या-तीन के मध्य राजीनामा हो गया है, अतः उपरोक्त राजीनामा को स्वीकार करते हुये उक्त प्रकरण राजीनामा के आधार पर निस्तारित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

याचीगण एवं विपक्षी संख्या- तीन की ओर से प्रस्तुत सन्धि पत्र 17B स्वीकार किया जाता है तथा वर्तमान प्रतिकर याचिका याचीगण **मुकेश कुमार, श्रीमती फूलन देवी** एवं विपक्षी संख्या- तीन **दि न्यू इण्डिया इंश्योरेंस कम्पनी लिमि.** की ओर से प्रस्तुत उक्त राजीनामा 17B के आधार पर रु.**2,30,000** प्रतिकर हेतु निर्णीत की जाती है। विपक्षी संख्या- तीन को आदेशित किया जाता है कि वह इस निर्णय के तीस दिवस के अन्दर प्रतिकर की सम्पूर्ण धनराशि न्यायाधिकरण के केनरा बैंक के खाता संख्या-92352010008560 IFSC: CNRB0019235 में RTGS/NEFT के माध्यम से जमा किया जाना सुनिश्चित करे। उपरोक्त प्रतिकर की आधी-आधी धनराशि याची RTGS/NEFT के माध्यम से नकद प्राप्त करेगा जिसमे की 50% धनराशि तीन वर्ष के लिये सावधि जमा मे निवेशित की जाएगी। उक्त राजीनामा/सन्धि पत्र इस निर्णय का भाग रहेगा।

(चंद्रोदय कुमार)
पीठासीन अधिकारी
मोटर वाहन दुर्घटना प्रतिकर दावा न्यायाधिकरण,
झांसी

Digitally signed by CHANDRODAY KUMAR
Date: 2021.07.10 18:48:00 IST
Reason: PO
Location: MACT JHANSI